भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, नई दिल्ली में **"ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपेशन थियेटर)"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क`दिनांक 13.10.2015 क`का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, **"ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपेशन थियेटर)"** पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पाण्डेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061203

(अभिषेक पांडेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली
दिनांक : 16/12/2024

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2024

सा.का.नि. . . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।.

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया

है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और

विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर)	*02(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 - 112400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समि संरचना
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

लागू नहीं होता।	प्रोन्नति हेतु 2 वर्ष टिप्पण- सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित है।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर) में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रुपये) में स्तर-5 में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; तथा निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने वाले: भौतिकी, रसायन,जीवविज्ञान के साथ विज्ञान में 10+2 उत्तीर्ण ऑपरेशन थियेटर में ऑपरेशन	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति स विचार करने के लिए) निम्नलि बनेगी:- 1 . अपर चिकित्सा अधीक्षक लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - 2. संबंधित विभाग के अध्यक्ष लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - 3. उप निदेशक प्रशासन, रा अस्पताल - 4. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेव चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्र समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति करने के लिए) निम्नलिखित से 1 . अपर चिकित्सा अधीक्षक लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्य 2. संबंधित विभाग के अध्यक्ष लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - 3. उप निदेशक , स्वास्थ्य से चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्र - सदस्य

			थियेटर सहायक / ऑपरेटिंग रूम सहायक / केंद्रीय स्टरलाइज़ेशन आपूर्ति विभाग प्रशिक्षण के पद पर पांच वर्ष का कार्य अनुभव **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुकति की अवधि शामिल है; साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी . **टिप्पण 3:** प्रतिनियूक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[ए.11018/04/2024-एमएच II]

(अभिषेक पाण्डेय),

अवर सचिव, भारत सरकार